पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कमांक :9733/अका./का.प./2006 रायपुर, दिनांक :23-.11.2006

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक सोमवार, दिनांक 14.11.2006 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये:

१. डॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
२. डॉ ओ.पी.वर्मा, कुलाधिसचिव	सदस्य
३. डॉ शशिभूषण	सदस्य
४. डॉ रमेन्द्र नाथ मिश्र	सदस्य
५. प्रो.एम.एम.हम्बर्डे	सदस्य
६. डॉ.जी.डी.साव	सदस्य
७. डॉ जी.बी.गुप्ता	सदस्य
८. डॉ.एच.आर.शर्मा	सदस्य
९. श्री रमेश नैयर	सदस्य
१०. श्री राहुल महावर	सदस्य
११. प्रो.रामखिलावन गुप्ता	सदस्य
१२. श्री युगल भारती	सदस्य
१३. श्री के.के.चंद्राकर,कुलसचिव	सचिव

कार्यवृत्त

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.09.2006 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29.09.2006 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि निम्नलिखित संशोधन के साथ प्रदान की गई: (१)डॉ एच.आर.शर्मा ने लिखित में जानकारी दिया है कि दिनांक २९.९.२००६ को संपन्न कार्यपरिषद की बैठक में शोध केंद्र के विषय के संबंध में विषय क्रमांक ४ में लिये गये निर्णय परिवर्तित कर जारी किये गये है। डॉ शर्मा ने कार्यपरिषद की बैठक में लिखित में जानकारी प्रस्तुत किया जिसमें विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव श्री विक्टर एक्का के द्वारा आदेश क्रमांक ९०७८ दिनांक ६.९.२००६ जारी किया है जिसमें छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी कोलिहापुरी दुर्ग को शोध केंद्र अनुमोदित बताया है जबकि परीक्षण के पश्चात् पता चला कि यह प्रकरण आज भी कार्यपरिषद से अनुमोदन होना शेष है। दिनांक ६.९.२००६ को जारी आदेश की सूचना संबंधित उपकुलसचिव द्वारा २९.९.२००६ के कार्यपरिषद की बैठक में नहीं दिया गया जबकि इस विषय पर पूर्व कार्यपरिषद में एक घंटा एवं इस कार्यपरिषद में भी चर्चा हुई। प्रकरण पर परीक्षण करते हुये कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

(२) डॉ जी.बी.गुप्ता, कार्यपरिषद सदस्य ने सदन की जानकारी में लाया कि पूर्व निर्णय के अनुसार कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों के कार्यालय एवं निवास के दूरभाष क्रमांक एवं पते की जानकारी सभी सदस्यों को उपलब्ध कराना है। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी प्रकार पूर्व निर्णय अनुसार समस्त सदस्यों को अध्यादेश, परिनियम, विनियम एवं अधिनियम की प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाना है परन्तु अभी तक अधिनियम के अतिरिक्त अन्य नहीं कराया जा सका। इस संबंध में उपकुलसचिव (अका.) ने स्वीकार किया कि किसी कारणवश उक्त जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके अब वे पंद्रह दिवस के भीतर कार्यपरिषद के सदस्यों को उपलब्ध करा देंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जावे।

(३) विषय क्रमांक १७ में डोम राशि के संबंध में डॉ शशिभूषण ने उल्लेख किया कि अग्रिम राशि ६.१३ लाख दी जा रही है अतः व्यय की गई राशि कुल रू.१२.२६ लाख होनी चाहिये एवं केंद्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के आधार पर कुल रूपये १२.२६ लाख की ५० प्रतिशत अग्रिम राशि रू.६.१३ लाख बैंक के माध्यम से भुगतान किया जावे।

(४) डा जी.बी.गुप्ता कार्यपरिषद सदस्य ने जानकारी में लाया कि स्वर्ण पदक के साथ जो प्रावीण्य प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को दिया जाता है उसमें जिसके लिये वह स्वर्ण पदक हेतु चयनित हुए हैं उनका उल्लेख होना चाहिये तथा वह हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होना चाहिये। सर्वसम्मति से अनुमोदित की गई।

२. 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने एवं यू. जी.सी. से संबंधित कार्य के देखरेख हेतु डॉ. व्ही.के. गुप्ता को ओ.एस.डी. के पद पर संविदा नियुक्ति किये जाने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने एवं यू.जी. सी. से संबंधित कार्य के सुचारु रूप से संचालित करते हुये प्रस्ताव तैयार कराकर अधिक से अधिक अनुदान की स्वीकृति पश्चात् निर्धारित अवधि में संबंधित विभागों से कार्य पूरा कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने संबंधी कार्य हेतु इस विभाग में डॉ. व्ही.के. गुप्ता को एक वर्ष के लिये समन्वयक नियुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया। मानदेय का भुगतान उन्हें प्राप्त अंतिम वेतन से पेंशन की राशि काटकर निर्धारित किया जावे जिसके अनुमोदन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया जावे।

3. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.10.2006 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय अनुमोदित की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि जब भी विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक आयोजित हो उसके निर्णय की प्रतिलिपि कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को भेजी जावे जिससे कार्यपरिषद में प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत होने पर संबंधित प्रकरण पर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

4. विश्वविद्यालय कर्मचारियों को पदोन्नति तिथि से ही आर्थिक लाभ प्रदान करने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेटअप में विभिन्न पदों के वेतनमान के विसंगति के संबंध में शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है अतः इस संबंध में सेटअट में स्वीकृत वेतनमान के विसंगति के निराकरण होने तक स्थगित रखा जावे।

5. विश्वविद्यालय अतिथि–गृह हेतु स्वीकृत स्थायी निधि राशि रू. 2500/– को बढ़ाकर रू. 5000/– किये जाने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

6. समन्वय समिति के निर्णय के अनुक्रम में विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2006–07 से निर्धारित शुल्क–संरचना के संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय समन्वय समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना ग्रहण करते हुये अनुमोदित की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि शोध ग्रंथ जमा करते समय जो शुल्क जमा ली जाती है उसमें पुनरीक्षित करने हेतु अन्य विश्वविद्यालयों से जानकारी लेकर कार्यपरिषद के आगामी बैठक में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत की जावे। इस कार्य हेतु डॉ रमेन्द्र नाथ मिश्र कार्यपरिषद सदस्य को अधिकृत किया गया।

7. श्री नरसिंह राव, चौकीदार (निलंबित) के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संदर्भ में जाँचकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के निष्कर्ष के संबंध में विचार करना ।

निर्णय जाँच अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से कार्यपरिषद सहमत नहीं है। चूँकि छात्रावास महिलाओं के लिए है और महिला छात्रावास की संरक्षिका द्वारा अनेक बार सूचित किया गया था कि संबंधित कर्मचारी को मदिरा सेवन की आदत है। अतः इसको ध्यान में रखते हुये श्री नरसिंह राव को अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जावे। संबंधित कर्मचारी से वचन-पत्र लिया जावे कि वे भविष्य में मदिरा सेवन कर कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे।

8. छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् प्रदत्त लिखित उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संबंधित छात्रों के द्वारा नियुक्त शिक्षकों से करने के पश्चात सभी मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा प्रदत्त अंक के बाद की उत्पन्न स्थिति के संबंध में आगामी कार्यवाही हेतु विचार करना ।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुनमूर्ल्यांकन के पश्चात् लिखित उत्तरपुस्तिका प्राप्त करने हेतु आवेदित छात्रों को संबंधित विषय की लिखित उत्तर पुस्तिका प्रदान करने के उपरान्त यदि छात्र संबंधित विषय की लिखित उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के प्रति असंतोष जाहिर करता है एवं अधिक अंक मिलने की संभावना व्यक्त करते हुये कुलपति को पुनः निवेदन करते है तो उनके आवेदन के आधार पर संबंधित विषय के तीन-सदस्यीय परीक्षकों का पैनल (जो विश्वविद्यालय के बाहर के हो) से पुनः मूल्यांकन करने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया। संबंधित सदस्यों के पैनल के द्वारा जो अंक प्राप्त होंगे वह अंतिम अंक माना जावेगा। परन्तु इसकी गणना पुर्नमूंल्याकन नियम के अनुसार होगी। इस हेतु शुल्क प्रति उत्तरपुस्तिका रू.३००/- प्राप्त करने हेतु अनुमोदन किया गया। यह अनुशंसा समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु भेजी जावे। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य परीक्षा में मूल्यांकन की एकरूपता हेतु प्रश्नपत्र रचयिता से आदर्श उत्तर प्राप्त किया जावे। इसकी प्रतिलिपि लिखित उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के समय साथ लगाकर परीक्षकों को भेजी जावे।

9. छात्र संघ प्रभारी (कार्यालय) हेतु इंप्रेस्ट राशि रू. 1500/– स्वीकृत करने बाबत ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

10. स्टोर कीपरों को द्वितीय श्रेणी लिपिक मानने तथा प्रथम श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत करने के संबंध में प्राप्त आपत्ति के संबंध में विचार करना ।

निर्णय प्रकरण में परीक्षण हेतु समिति का गठन किया जावे। समिति के सदस्य नामांकित करने के लिये कुलपति को अधिकृत किया गया।

11. एम.बी.बी.एस., डेन्टल, नर्सिंग, बी.एच.एम.एस., आयुर्वेद, यूनानी पाठ्यक्रम में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान सम्मिलित करने के संबंध में ।

निर्णय संबंधित केंद्रीय संस्थान के द्वारा इस संबंध में की गई अनुशंसा के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रमों में ५ अंक ग्रेस प्रदान करने हेतु अनुमोदन किया गया। संबंधित अध्यादेश में संशोधन करने हेतु अनुशंसा सहित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु समन्वय समिति को प्रेषित किया जावे।

12. "मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन" पाठ्यक्रम (सेमेस्टर पद्धति) से संबंधित अध्यादेश कमांक–172 को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय प्रस्तावित अध्यादेश का अनुमोदन किया गया तथा यह प्रस्ताव समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु भेजी जावे।

13. "मास्टर ऑफ आर्टस्/सांइस" पाठ्यक्रम (सेमेस्टर पद्धति) से संबंधित अध्यादेश कमांक–170 को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय प्रस्तावित अध्यादेश का अनुमोदन किया गया तथा यह प्रस्ताव समन्वय समिति केअनुमोदन हेतु भेजी जावे।

14. बाह्य परीक्षकों को मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन (2005–06) संबंधी रू. 10,30,982/– (रूपये दस लाख तीस हजार नौ सौ ब्यासी मात्र) के भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण करते हुये अनुमोदित की गई।

15. "डॉक्टर ऑफ फिलासाफी" से संबंधित अध्यादेश कमांक–45 में संशोधन हेतु विचार करना ।

निर्णय संकायाध्यक्ष कला, संकायाध्यक्ष विज्ञान, संकायाध्यक्ष जीव विज्ञान, संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संबंधित अध्ययन शालाओं के विभागाध्यक्षों से चर्चा कर संशोधन हेतु प्रस्ताव देंगे जिसे कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

16. श्री टी.व्ही. दिवाकरण, कुलपति के सचिव (संविदा नियुक्त) के सेवावृद्धि के संबंध में विचार करना ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

17. राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अंतर्गत उपकुलसचिव के निवास में अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी परिचारक की सुविधा बाबत ।

निर्णय अमान्य किया गया।

18. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के द्वारा विभिन्न कक्षाओं में प्रवेशित छात्रों के नामों की सूची जमा करने संबंधी ।

निर्णय कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।

19. बी.एड. पाठ्यकम के अध्यादेश कमांक–59 में संशोधन बाबत ।

टीप :– वर्तमान में बी.एड. पाठ्यकम के अध्यादेश कमांक–59 में प्रवेश हेतु केवल स्नातक उत्तीर्ण का उल्लेख है । परन्तु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा 21 जुलाई, 2006 को जारी विनियम–2006 के अनुसार उल्लेख है कि –

3.2 Eligibility

3.2.1. Candidates with at least 50% marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's degree or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.

3.2.2. There shall be relaxation of marks/ reservation of seats for candidates belonging to SC/ST/OBC communities and other categories as per the Rules of the Central/ State Government/ UT Administration concerned.

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government/ U.T. Administration and the University.

निर्णय अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया गया तथा प्रस्ताव समन्वय समिति केअनुमोदन हेतु भेजी जावे।

20. व्याख्याता के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता से संबंधित संशोधित अध्यादेश कमांक–4 में संशोधन बाबत ।

टीप :– यू.जी.सी., नई दिल्ली के अधिसूचना कमांक F.NO. 1-1/2002(PS) Exemp., 14th June, 2006 के अनुसार –

"NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Lecture for those with post-graduate degree. However, the candidates having Ph.D. degree in the concerned subject are exempted from NET for PG level and UG level teaching. The candidates having M.Phil degree in the concerned subject are exempted from NET for UG level teaching only."

निर्णय अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया गया तथा यह प्रस्ताव समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु भेजी जावे।

21. बी.एस–सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश कमांक–73 के अनुसार कक्षा में प्रवेश प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के संबंध में विचार करना ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

22. श्रीमती शीला विजय, शोध छात्रा, अंग्रेजी के शोधप्रबंध के मूल्यांकन के संबंध में विचार करना ।

निर्णय प्रकरण संकायाध्यक्ष कला, विज्ञान, जीव-विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से परीक्षण कराया जावे। उनके द्वारा अनुशंसित अभिमत में यदि आवश्यक हुआ तो स्थायी विधिक सलाहकार से अभिमत लिया जावे।

23. बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश–परीक्षा के माध्यम से प्रवेश देने के सम्बन्ध में विचार करना ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से

२४. वित्तीय वर्ष २००५-०६ में गोपनीय मुद्रण में हुये व्यय की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय सूचना ग्रहण करते हुये अनुमोदन किया गया।

२५. बस्तर परिसर जगदलपुर के लिये स्वीकृत सहायक कुलसचिव के पद का उन्नयन कर उपकुलसचिव के पद सृजित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णय छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक ११४२/१४६/२००५/उ.शि/३८ दिनांक २०.४.२००५ के द्वारा विश्वविद्यालय शाखा, बस्तर परिसर जगदलपुर में सहायक कुलसचिव का एक पद स्वीकृत किया गया। बस्तर परिसर जगदलपुर परिक्षेत्र से संबद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधा प्रदान करने एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में अध्यापन को ध्यान में रखते हुये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बस्तर परिसर के लिये स्वीकृत सहायक कुलसचिव के पद को अपग्रेड करते हुये उपकुलसचिव के पद सृजित का अनुशंसा किया गया और इसे शासन की स्वीकृति हेतु भेजा जावे।

२६. पं.सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथालय में सेटअप के अंतर्गत नये पदों का सृजन।

अ.कम्प्यूटर अनुप्रयोग से संबंधित सेवाएं-

क्र	पद क्र.वेतनमान	कुल पद
१	सीनियर सिस्टम ऐनालिस्ट, सिस्टर प्रोग्रामर (८०००-१३५००)	१
२	वरिष्ठ सहा.कम्प्यूटर प्रोग्रामर (६५००-१०५००)	१
३	सहा.कम्प्यूटर प्रोग्रामर (५०००-८०००)	१

ब.ग्रंथालय तकनीकी पद-

क्र.	पदनाम एवं वेतनमान	पद की संख्या
१	सहायक ग्रंथपाल (८०००-१३५००)	१
२	कक्ष अधिकारी तकनीकी (६५००-१०५००)	२
३	ग्रंथा.सहा.ग्रेड-१ (५५००-८०००)	२
४	ग्रंथा.सहा.ग्रेड-२ (४०००-६०००)	१

५	इशु क्लर्क (३०५०-४५९०)	३
६	काउन्टर क्लर्क (३०५०-४५९०)	१
७	लायब्रेरी क्लर्क (३०५०-४५९०)	१
८	बुक अटेन्डेड (२७५०-४४००)	६
९	प्रापर्टी काउन्टर अटेन्डेड (२७५०-३२००)	२

निर्णय अनुशंसा की गई और इसे शासन की स्वीकृति हेतु भेजा जावे।

२७. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अकादमिक स्टाफ कालेज की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में सूचना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने अपने पत्र एफ क्रमांक २७-१/२००५ (ए.एस.सी.) दिनांक ११ अक्टूबर २००६ के द्वारा पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अकादमिक स्टाफ कालेज की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है। अकादमिक स्टाफ कालेज के लिये यू.जी.सी. द्वारा अकादमिक स्टाफ के रूप में आचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याता के एक-एक पद तथा गैर-शैक्षणिक स्टाफ के रूप में सात पदों की स्वीकृत प्रदान की है।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई एवं यह भी निर्णय लिया गया कि पद को विज्ञापित कर भरा जावे।

२८. मानव विज्ञान अध्ययन शाला में अध्ययनरत छात्रों के क्षेत्रीय कार्य के लिये बजट की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय संबंधित अध्ययन शाला के पाठ्यक्रम में क्षेत्रीय कार्य अनिवार्य है। प्रत्येक वर्ष जो विद्यार्थी सामग्री संकलन हेतु जनजातीय क्षेत्रों में जाते है उनके क्षेत्रीय कार्य पर होने वाले व्यय के लिये बजट रू.२५,०००/- का प्रावधान किया जावे।

२९ भवन निर्माण समिति में कार्यपरिषद की ओर से मनोनीत सदस्य के मनोनयन पर विचार करना।

निर्णय भवन समिति में कार्यपरिषद की ओर से डॉ मुकंद हम्बर्डे, कार्यपरिषद सदस्य को नामांकित करने हेतु अनुमोदन किया गया।

३०. केंद्रीय क्रय समिति में कार्यपरिषद की ओर से मनोनीत सदस्य के मनोनयन पर विचार करना।

निर्णय केंद्रीय क्रय समिति में कार्यपरिषद की ओर से डॉ बी.के.शर्मा, आचार्य एवं अध्यक्ष, गणित अध्ययन शाला को नामंकित करने हेतु अनुमोदन किया गया।

३१. वार्षिक परीक्षा के लिये उत्तरपुस्तिका निर्माण हेतु कागज क्रय करने विषयक।

निर्णय उत्तरपुस्तिका निर्माण हेतु कागज केंद्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुसार इमामी पेपर मिल्स, कलकत्ता से क्रय करने हेतु अनुमोदन किया गया। उत्तरपुस्तिका के निर्माण हेतु कुल ५३ मीट्रिक टन कागज क्रय करने हेतु कुल व्यय रूपये १९,६३,६५०/- की स्वीकृति प्रदान की गई।

३२. वाहन नीलामी हेतु सर्वेयर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुमोदन विषयक।

निर्णय सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जो मूल्य का आंकलन किया गया उसकी सूचना ग्रहण की गई। संबंधित प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु डॉ रमेन्द्र नाथ मिश्र, कार्यपरिषद सदस्य से सहयोग लिया जावे।

३३. अतिरिक्त परिनियम क्रमांक १ (दीक्षांत समारोह से संबंधित) में संशोधन विषयक।

निर्णय अनुमोदित की गई एवं संबंधित संशोधन समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु भेजी जावे।

३४. कु.शिखा विश्वकर्मा, शोध छात्रा के शोध निर्देशक को बदलने संबंधी आवेदन पर विचार करना।

विशेष प्रकरण मानते हुये डॉ एच.आर.शर्मा की सहमति पर शोध निर्देशक नियुक्त करने का अनुमोदन किया गया और शोध केंद्र विश्वविद्यालय कम्प्यूटर अध्ययन शाला ही होगा।

३५. श्री विक्टर एक्का, उपकुलसचिव, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा विभागीय नोटशीट एवं अन्य दस्तावेजों पर अशोभनीय टिप्पणियाँ अंकित करना तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना कर प्रशासनिक कार्यों में बाधा पहुँचाने की सूचना प्रदान करना।

निर्णय कार्यपरिषद के समक्ष श्री विक्टर एक्का, उपकुलसचिव, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से संबंधित पत्र एवं नोटशीट की छाया प्रतियाँ दिखाई गई। संबंधित प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि माननीय कुलपति उन्हें प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये समुचित कार्यवाही करें।

३६. श्री विकाश कुमार सिंह के द्वारा महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित पत्र दिनांक १७.१०.२००६ के संबंध में सूचना एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

श्री विकाश कुमार सिंह के द्वारा महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित पत्र दिनांक १७.१०.२००६ में संलग्न कथन (जिस पर श्री विक्टर एक्का उपकुलसचिव के समक्ष में बयान दर्ज किया है तथा कथन के प्रत्येक पृष्ठ पर श्री विक्टर एक्का, उपकुलसचिव के हस्ताक्षर एवं सील अंकित है) को कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी संदर्भ में यह जानकारी में आया है कि (१) श्री विकाश कुमार सिंह के विरूद्ध थाना भिलाई में दर्ज आपराधिक प्रकरण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है, (२) इन्होंने वर्ष १९९९ में पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से एम.एस.सी भौतिक शास्त्र की उपाधि एवं वर्ष २००० में भोज विश्वविद्यालय भोपाल से एम.सी.ए. की उपाधि प्राप्त किया है जबकि नियमानुसार एक ही अवधि में दो उपाधि एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है एवं (३) इन्होंने पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के व्याख्याता की हैसियत से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से टी.ए./डी.ए. प्राप्त करने की जानकारी मिली है।

निर्णय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संबंध में संबंधित दस्तावेज के आधार पर विस्तृत जांच करने एक समिति का गठन किया जावे। समिति का गठन करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ ही कार्यपरिषद की बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव

पृ.कमांक :9734/अका./का.प./2006 रायपुर, दिनांक :23-.11.2006

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।
3. जनसंपर्क अधिकारी/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. समस्त विभागीय अधिकारी ।

उपकुलसचिव (अका.)